संविधान सभा

भारत में संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी

* अगस्त प्रस्ताव 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था।
* क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट स्वीकार किया था।

'दिवालिया बैंक का चैक' - महात्मा गांधी

* कैबिनेट मिशन
  - → संविधान सभा का गठन
  - → संविधान सभा के सदस्य 389
    - → 292 + 04 = 296
    - → 93 (देशी भारत से) मनोनीत
  - → सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों
* 1 सदस्य कम से कम 10 लाख सदस्यों पर होगा
* 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे - दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान
* 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानन्द सिन्हा ने की। यह सबसे बुजुर्ग थे।
* मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था।

"संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है।" - विन्स्टन चर्चिल

- प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था।
- इसमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी।

⇒ कम सदस्य आने के 2 प्रमुख कारण

- मुस्लिम लीग का बहिस्कार (73)
- देशी रियासतों का भविष्य तय न होना।

- 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेन्द्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया।
- 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया।
- 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

वर्तमान उद्देशिका का यह आधार है।

डॉ अम्बेडकर

- प्रथम बार बम्बई से चुनाव लड़ते हैं
- दूसरी बार बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़े, चुनाव जीत जाते हैं

- बंगाल की सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है।
- बी.जी. खेर का पत्र लिखा जाता है।

एम. जय कर सीट खाली करते है. फिर उस सीट से (मुम्बई) संविधान सभा के सदस्य चुने जाते।

* संविधान का प्रारूप B·N· राव ने तैयार किया था। यह I·C·S अधिकारी थे।

↳ वर्मा का संविधान भी B·N· राव ने बनाया।

↳ अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे।

* ड्राफ्ट कमेटी / प्रारूप समिति / पाण्डुलेखन समिति
  (नाम)

* 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया।

सात सदस्य

1. डॉ भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. K·M· मुंशी
3. बी·एन· मित्तर → एन माधव
4. मुहम्मद सादुल्ला
5. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर (निर्दलीय)
6. एन· गोपाल स्वामी आयंगर
7. डी·पी· खेतान → टी·टी· कृष्णमाचारी

↳ प्रारूप समिति के दो सदस्यों में से केवल (K·M· मुंशी) एवं (टी·टी· कृष्णमाचारी) कांग्रेस के सदस्य थे।

* संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए।

11+1 — 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन।

⇒ संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी।

*

⇒ बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी।

⇒ 26 नवम्बर 1949 को संविधान आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया।

⇒ अनु 394 में उन अनुच्छेदों का वर्णन है जो 26 नवम्बर 1949 को लागू हुआ।

↳ कुल 16 अनु. लागू हुए थे।

⇒ आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवम्बर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, बाद में विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे।

⇒ 24 जनवरी 1950

- 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
  - → जवाहर लाल नेहरू प्रथम और राजेन्द्र प्रसाद अंतिम थे हस्ताक्षर करने वाले।
- → भारत का पहला राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया।

संविधान सभा

संविधान निर्माण → डॉ राजेन्द्र प्रसाद

संसद → गणेश वासुदेव मावलंकर

→ भारतीय संविधान का शीर्षक है -
'भारत का संविधान'

⇒ अनु. 394 में लिखा है कि बाकी के अनु. 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे।

⇒ 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से चली।

⇒ अनु 395 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को खत्म किया गया।

संविधान पर टिप्पणी

* हिन्दुओं की संस्था → लार्ड साइमन
* एक जाति की संस्था → चर्चिल
* 'संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है' - ग्रानविल आस्टिन

⇒ डॉ भीमराव अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए राजेन्द्र प्रसाद ने दक्ष पायलट कहा है।

⇒ वह न केवल संविधान के जनक हैं, वरन संविधान की जननी भी हैं। — के. वी. राव

⇒ 'आधुनिक भारत का मनु' अम्बेडकर को कहा जाता है।

⇒ संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई।

⇒ प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ।

⇒ नवम्बर 1947 से संविधान सभा संसद का कार्य कर रही थी, अतः प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करते हुए किया।

प्रस्तावना

* बेरूबारी वाद -(1960) - प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

* केशवानन्द भारती वाद (1973) - प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसा कि संविधान के अन्य भाग में।

* S.R बॉम्बे वाद - प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है।

हम भारत के लोग (संविधान का स्त्रोत जनता है)

> गणतंत्र (Republic) - शासन का प्रमुख निर्वाचित होता है।

> धर्मनिरपेक्ष - सरकार का कोई धर्म नहीं है. वह निरपेक्ष है।

* न्याय - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
क्रम से →

> अनु. 38 में भी इन तीनों न्याय का उल्लेख है।

* स्वतंत्रता (5) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता

* अवसर की समानता प्रस्तावना में भी है. और अनु० 16 में भी है।

* बन्धुत्व शब्द प्रस्तावना में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है।

* अंगीकृत (Adopt) - स्वीकार करना

* अधिनियमित - लागू करते हैं

* आत्मार्पित - स्वयं को सौंपते हैं।

* प्रस्तावना में 'भारत' शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है।

* संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है, संशोधन के माध्यम से सिर्फ एक बार ही बदलाव हुआ है।

'समाजवाद', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखण्डता' तीन शब्द बाद में जोड़े गए।

* ठाकुरदास भार्गव - संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
→ प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।

* कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी - "प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म-कुंडली है।"
K.M. मुंशी

भारत का राज्यक्षेत्र

↳ (भाग 1 से 4 तक)

अनु॰ 1 - भारत 'राज्यों का संघ' होगा'

↳ संविधान में भारत और इंडिया दोनों कहा गया।

अनु॰ 1
- → राज्य
- → संघ शासित प्रदेश
- → अर्जित प्रदेश

↳ भारत का राज्यक्षेत्र अनु॰ 1 में परिभाषित किया गया है।

अनु॰ 2 - बाहर का कोई प्रदेश मिलाना हो तो उसे कैसे शामिल किया जाए उस प्रक्रिया का उल्लेख है। संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है।

अनु॰ 3 - राज्यक्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख

* राज्यों की सीमा में परिवर्तन
* नए राज्य का गठन
* राज्य के नाम में परिवर्तन . आदि

↳ इन सबके लिए सबसे पहले इस सन्दर्भ में विधेयक लाया जाता है, संसद में बिल लाने से पहले सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल से पूछता है।
राष्ट्रपति जवाब देने की अवधि निर्धारित करता है। राज्य के विधानमण्डल की राय का कोई फर्क नहीं पड़ता है।

अनु॰ 4 - अनु॰ 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जायेगें, वह अनु॰ 368 के अंतर्गत नहीं आयेगा।

A. 368 - संविधान संशोधन की प्रक्रिया

संविधान संशोधन - तीन प्रकार

① सामान्य बहुमत

② विशेष बहुमत

③ विशेष बहुमत + 1/2 राज्यों का अनुमोदन

→ अनु॰ 368 में सिर्फ 2 तरीकों का उल्लेख है -
① विशेष बहुमत
② विशेष बहुमत + 1/2 राज्यों का अनुमोदन

⇒ अनु॰ 2 और 3 में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है।

⇒ अनु॰ 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाला ही संशोधन, संविधान संशोधन के रूप में गिना जायेगा।

अनु॰ 2(A) - 35 वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया।
सहराज्य एक नई श्रेणी बनाई गई।
बाद में 36 वें सं॰ संशोधन के द्वारा सहराज्य श्रेणी

को खत्म कर दिया।

⇒ सिक्किम राज्य की विधानसभा में (32) सदस्य है।

⇒ अनु. 368 बताता है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है।

* <u>गोलकनाथ वाद</u> - संविधान के मूल अधिकारों में परिवर्तन <u>नहीं</u> कर सकता है।

* <u>केशवानन्द भारती वाद बनाम केरल राज्य</u> - संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है।

लेकिन संसद को आधारभूत संरचना का ध्यान रखना होगा।

राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनःविचार के लिए <u>नहीं</u> भेज सकता।

⇒ संविधान संशोधन विशेष बहुमत से पारित होगा

संविधान संशोधन विधेयक <u>किसी भी सदन</u> में लाया जा सकता है।

⇒ संशोधन विधेयकों पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन (नहीं) बुलाया जाता है।

⇒ संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 से 35 तक ← भाग 3 में उल्लेख (तीन)

* भाग 3 को संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

↳ अनु. 12 राज्य को परिभाषित करता है।

वे सरकारी संस्थाएं आती हैं, जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करते हैं।

↳ मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है।

अनु-13 - कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, यह अनु. न्यायपालिका को शक्ति देती है कि इस पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है।

↳ अनु. 13 विधि शब्द को भी परिभाषित करता है।

↳ अनु. 13 संविधान के पूर्व की विधि तथा संविधान के बाद की विधि अनुकूल हो इसकी बात भी करता है।

① समानता का अधिकार

अनु. 14 से 18 तक

* अनु. 14
  - विधि के समक्ष समानता
  - विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए।

- 'विधि के समक्ष समानता' की अवधारणा इंग्लैण्ड से ली गई है।
- डायसी ने 'विधि का नियम' सिद्धान्त दिया।
- विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, वह किसी से भेदभाव नहीं करेगी।
- विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि राज्य चाहे तो वह सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। वह अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग कानून बना सकता है।
  (यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है)

* अनु. 15 - जाति, धर्म, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जायेगा।

- महिलाओं, बच्चों के लिए राज्य अलग कानून बना सकता है।
- प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अनु. 15 में 15(4) जोड़ा गया।

अनु. 15(4) - अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जायेगा।

अनु. 15(5) - उच्च संस्थानों में भी S.C., ST और पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

↳ 93 वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ।

अनु॰16 - रोजगार के अवसर में समानता
लिंग, जन्म, स्थान, धर्म, जाति, उद्भव, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनु॰16(3) - राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है।
इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है।

अनु॰ 371(J) - 98 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
कर्नाटक के राज्यपाल को सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में विशेष शक्ति दी गई। कर्नाटक के एक विशेष क्षेत्र के लिए।

अनु॰ 16(4) - अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जायेगा जिसके माध्यम से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले लोगों का पता लगाया जायेगा।

जैसे -
↳ काका कालेलकर आयोग (1953)
↳ B.P मंडल (1978)
→ O.B.C को आरक्षण 27% दिया गया।

इंदिरा साहनी
बनाम
भारत संघ } 16 नवम्बर 1992

⇒ आरक्षण के सम्बन्ध मे यह बड़ा मामला था

* 50% से अधिक आरक्षण नही हो सकता।
पदोन्नति मे कोई आरक्षण नही होगा।

भारत के संविधान का पेपर एक्ट

अनु०17 . अस्पृश्यता का अन्त

↳ अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989
↳ अस्पृश्यता अधिनियम - 1955

अनु०18 . उपाधियों का अन्त

सैनिक उपाधियां, शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर।
राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अन्य देश से उपाधि धारण नही कर सकता।

(2) स्वतंत्रता का अधिकार

↳ अनु॰ 19 से 22 तक

* अनु 19 (1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं।

⇒ प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है।

(a) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(b) सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता
(बिना हथियारों के, शांतिपूर्ण तरीकों से)
↳ सिक्खों को कृपाण रखने का अधिकार है।
(c) संगठन / संघ बनाने की स्वतंत्रता
(D) घूमने की स्वतंत्रता
(E) निवास करने की स्वतंत्रता
(F) व्यापार / वाणिज्य की स्वतंत्रता

* मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे. लेकिन 1978 में 44 वे संविधान संशोधन के द्वारा 'सम्पत्ति के अधिकार' के मूल अधिकार को हटा दिया।

* भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफी व्यापक है। व्यक्ति बोलकर, लिखकर, नाचकर, चुप रहकर, पेन्टिंग बनाकर आदि

माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है।

⇒ सूचना के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अनु॰ 19 के अन्तर्गत मान सकता है।

↳ सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। (माना जाता है)

↳ राष्ट्रीय ध्वज लगाने की स्वतंत्रता अनु॰ 19 में आती है

⇒ 19(i) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं।

अनु॰ 19(i) आत्यंतिक (सीमा में न बंधे हो) हैं

* 19(ii) to 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का उल्लेख है।

* अनु 19 स्वतंत्रता भी देता है तथा इन पर रोक लगाने के उपबंध भी करता है।

अनु॰ 20 ↳ जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया, व्यक्ति को उसी समय के लागू कानून के हिसाब से सजा दी जायेगी। न कि नए कानून के हिसाब से।

↳ किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो सजा नहीं दी जा सकती।

अनु॰ 20 (iii) किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनु॰ 21 - दैहिक स्वतंत्रता (जीने का अधिकार)

- मरने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है।
- लेकिन यदि व्यक्ति असाध्य बीमारी से पीड़ित हो तो उसे अनुमति दी जा सकती है।

अनु॰ 22 - गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार।

- २४ घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार
- निरोधक कानून में आने वाले व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता।
- दुश्मन देश के व्यक्ति पर भी यह कानून लागू नहीं होता।

अनु॰ 21(A) - 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चो को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

- 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार

उल्लेख - 23 व 24 अनुच्छेद

अनु• 23 - बेगार प्रथा पर रोक
- मानवीय या मानव व्यापार पर रोक (कबूतरबाजी पर रोक)

अनु• 24 - बाल श्रम पर रोक

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनु• 25 से 28 तक

अनु• 25 - धर्म को मानने, प्रचार करने, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, अन्तःकरण की स्वतंत्रता।

इसमें हिन्दु शब्द लिखा है, जिसमे जैन और सिक्ख हिन्दु में आते हैं।

अनु• 26 - सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना, चल अचल सम्पत्ति का प्रबंध, सम्पत्तियों के प्रशासन का अधिकार है।

सीमा
1. लोकव्यवस्था को नुकसान न हो
2. सदाचार को नुकसान न हो।
3. स्वास्थ्य को नुकसान न हो।

अनु• 27 - धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता।

अनु. 28 : किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

(5) संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनु. 29

∟ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

> भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार

अनु. 30 : अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

→ अनु. 32

* डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अनु. 32 को 'संविधान की आत्मा' कहा है।

* अनु. 31 जिसमे सम्पत्ति का अधिकार था. 44 वे संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनु. 31 से हटाकर अनु. 300 A मे डाल दिया गया जो कि विधिक अधिकार बन गया है।

* प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9 वी अनुसूची जोड़ी गई।

* निदेशक तत्व के अनु. 39 (b)(c) को लागू करने के लिए मूल अधिकारों अनु. 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है।

अनु. 32
- → सुप्रीमकोर्ट का लेख जारी करना
- → 5 लेख
- → संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालय को भी लेख जारी करने का अधिकार दे सकती है।

① बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Carpus) - अपना शरीर प्राप्त करना

(2) परमादेश (Mandamus) - हम आदेश देते हैं।

(3) प्रतिषेध (Prohibition) - मना कर देना

(4) उत्प्रेषण (Certiorari) - मंगा लेना

(5) अधिकार पृच्छा - (Quo Warranto) -
किस अधिकार से

सुप्रीम कोर्ट	हाईकोर्ट
(1) 5 याचिका	(1) 6 याचिका (इंजंक्शन) - अनु 226
(2) मौलिक अधिकारों का हनन होने पर याचिका जारी करता है।	(2) यह इसके साथ विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी याचिका जारी करता है।

अनु. 33 - कानून को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों की तरह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अनु. 34 यदि हमारे मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ कानून द्वारा हानि हुई है तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है।

अनु. 35 कुछ विषयों पर केवल कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है।

जैसे

अनु. 35 (संसद) → अनु. 16(3)
→ अनु. 32(3)
→ अनु. 33
→ अनु. 34

केवल संसद ही कानून बनायेगी।

इंजंक्शन द्वारा - हाथ किसी मुद्दे पर यदि आपको राहत चाहिए तो अनु 226 के तहत उच्च न्यायालय इंजंक्शन रिट जारी करता है।

उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की कोई रिट जारी नहीं करता है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

(Directive Principles of State Policy)

उल्लेख - **भाग IV**, अनु. 36 से 51 तक

- भाग 4 को सामाजिक, आर्थिक न्याय का प्रतीक कहते हैं।
- यह वाद योग्य नहीं है।
- राज्य नीति बनाते समय इनका ध्यान रखे।
  - **अनु. 40** - ग्राम पंचायतों का संगठन
  - **अनु. 48** - कृषि एवं पशु पालन का संगठन
- 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 'निर्देशों के उपकरण' जो उल्लिखित थे, यही नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में है।
- **अनु. 36** - राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा
- **अनु. 37** - राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा।
- **अनु. 38** - राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।
- **अनु. 39** - राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय बातें जैसे (समान कार्य के लिए समान वेतन)
- **अनु. 40** - ग्राम पंचायतों का गठन

→ अनु॰ 41 - काम, शिक्षा, लोक सहायता

→ अनु॰ 42 - मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता

→ अनु॰ 43 - जीवन निर्वाह योग्य वेतन

→ अनु॰ 39(A) - राज्य सभी लोगों को निशुल्क न्याय देगा और विधिक सहायता देगा।

1987 - NLSA ACT
SLSA
DLSA
} निशुल्क विधिक सहायता

1995 में NLSA की स्थापना हुई।

→ अनु॰ 43(A) - राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकता की सुनिश्चित भागीदारी हो।

→ अनु 43(B) - सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण।

→ **अनु॰ 44** - सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।

एक समान नागरिक संहिता
(Uniform Civil Code)

→ अनु॰ 45 - बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

→ अनु॰ 46 - अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा

और अर्थ सम्बन्धी प्रावधान।

→ **अनु॰ 47** - पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य।

→ **अनु॰ 48** - कृषि और पशुपालन का संगठन

→ **अनु॰ 48 (A)** राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

→ **अनु॰ 49** - राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।

→ **अनु॰ 50** - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

अनु॰ 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।

के॰टी॰ शाह - "नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है।"

मूल कर्तव्य

→ भाग IV A
→ अनु. 51(A)

- मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था.
- 42 वे संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गये।
- जोड़ते समय इनकी संख्या 10 थी. लेकिन अब इनकी संख्या 11 है।
- मूल कर्तव्य रूस से लिए गए।

सामासिक - जोड़ना

- 7 वें मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है।

ज्ञानार्जन . ज्ञान के अर्जन की भावना

- 11 वा मूल कर्तव्य (6 -14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर) 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।
- J. S. वर्मा (जगदीश शरण वर्मा समिति) का संबंध भी मूल कर्तव्य से है।

राष्ट्रपति

19 जून 2019

- अनु॰ 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है

योग्यताएं

① भारत का नागरिक हो
② 35 वर्ष का हो
③ लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो।
④ वह किसी लाभ के पद पर न हो।

→ अनु॰ 58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

→ निर्वाचक मंडल - अनु॰ 54

अनु॰ 54
- लोकसभा (545) → 02, 543
- राज्यसभा (245) → 12, 233

(02 और 12) भाग नहीं लेते

→ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होगा।

(70 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को निर्वाचक मण्डल में भाग लेंगे)

* ओबरायन (एंग्लो इंडियन) ने राष्ट्रपति चुनाव (2012) में भाग लिया क्योंकि वह निर्वाचित थे

→ **अनु॰ 55** - राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

* एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली

* **उम्मीदवार** → 50 लोग प्रस्तावक
  → 50 लोग अनुमोदक

* यह 100 लोग किसी अन्य के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकते हैं। यह निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं।

→ जमानत की राशि 15000 रूपये है।
कुल वैध मतों का 1/6 भाग आवश्यक नहीं तो जमानत राशि जब्त।

$$1 \text{ विधायक} = \frac{\text{उस राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$$

यहां पर जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 है जो 2026 तक चलेगा।

$$1 \text{ सांसद का मत मूल्य} = \frac{\text{Total}}{776}$$

(708)

543 + 233

→ **अनु॰ 71** - किसी प्रकार का विवाद होगा तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा।

→ राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग करवाता है।

→ चुनाव अधिकारी (पीठासीन) लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव क्रमशः होते हैं। कभी लोकसभा का महासचिव तो कभी राज्यसभा का।

→ राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
↳ अनु. 60

* राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण (Preserve), संरक्षण (Protect) व प्रतिरक्षण (Defend) एवं जनता की सेवा व कल्याण में निरत (Devote) रहने की शपथ ग्रहण करता है।

→ राष्ट्रपति सामान्य तौर पर 25 जुलाई को शपथ लेते हैं।

→ कार्यकाल - अनु. 56
↳ 5 वर्ष का

→ राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 5 साल के लिए होता है, शेष अवधि के लिए नहीं होते।

→ अनु. 57 - कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है।
संविधान इस सन्दर्भ में मौन नहीं है।

↳ उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सर्वप्रथम सूचना देता है।

↳ **अनु. 361** - **राष्ट्रपति के विशेषाधिकार**

① पद पर रहते हुए कोई भी न्यायालय नोटिस जारी नहीं कर सकता।

② पद के दौरान फौजदारी, दीवानी मामलों में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती।

③ दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को 2 माह की पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति से पूछताछ कर सकते हैं।

↳ **महाभियोग** - (61) अनु.

↳ **अनु. 56** - राष्ट्रपति की पदावधि

* राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण (Violation) किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) चलाया जा सकता है।

↳ महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

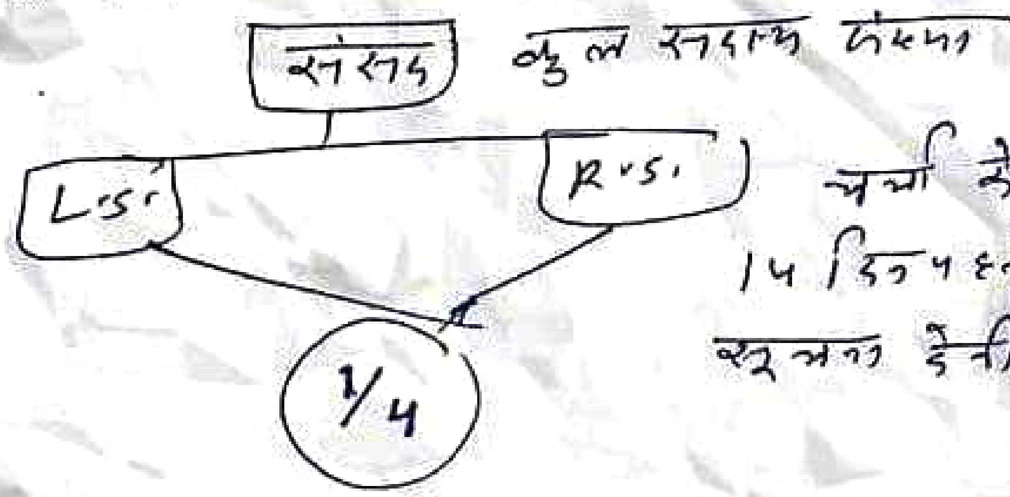

चर्चा से 14 दिन पहले सूचना देनी होगी

↳ सूचना सदन को अध्यक्ष देता है।

↳ सदन कुल सदस्य संख्या से 2/3 संख्या से पारित कर दे तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जायेगा और यदि 2/3 सदस्यों की संख्या से वह भी पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा।

* मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं।

* 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।

* राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया (Quasi Judicial Process)

↳ महाभियोग प्रस्ताव पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां

↳ **अनु. 53** - संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

↳ इस शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

अनु. 75 - लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा।

543 — [272]

→ लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा।

→ राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है।

→ विभागों का बटवारा प्रधानमंत्री करता है।

→ मंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं।

↳ **अनु. 77** - संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जायेंगे।

(77) -
- → विभागों का बटवारा प्रधानमंत्री करता है।
- → कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनायेंगे
  Allocation of the Business Rules

अनु 78

78 →
- P → (PM) शासन व्यवस्था
- विधि निर्माण
- मंत्रिपरिषद

→ प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों में सूचना दे, जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए।

अनु. 76 - राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे, शपथ दिलायेंगे तथा महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही पद पर रहेंगे।

→ (CAG) भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त नहीं होता है।
(CAG) (महालेखा नियंत्रक परीक्षक)

→ नियुक्ति तथा शपथ राष्ट्रपति करता है।

अनु. 74

(74)
- सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद।
- जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे।

व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति

↳ **अनु. 79** संसद - ③ — संसद का गठन

- राष्ट्रपति
- लोकसभा
- राज्यसभा

↳ **अनु. 99** - संसद - सदस्य — शपथ

↳ राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेंगे तथा शपथ दिलायेंगे।

↳ प्रोटेम स्पीकर पद का उल्लेख संविधान में नहीं है।

प्रोटेम स्पीकर के कार्य

① लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना

② नए लोकसभा अध्यक्ष बनने तक पद पर रहना।

अनु. 331 - यदि एंग्लो इंडियन का सन्तुलित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे।

↳ **अनु. 366** एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं, जिनके पिता या दादा अंग्रेज हो और माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो.

↳ **अनु. 80(3)** - राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत

└ ④ साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा

↳ **अनु. 85** → संसद के अधिवेशन को आहूत (बुलाना) करना

→ सदन का सत्रावसान करना (सत्र का अंत)

→ लोकसभा को भंग करना

↳ **अनु. 86** - संसद के अधिवेशन को सम्बोधित कर सकते हैं।

→ संदेश भेजने का अधिकार

⇒ राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है।

↳ **अनु. 87** - वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से सम्बोधित (बजट सत्र)

↳ प्रत्येक आमचुनाव (लोकसभा के) के पश्चात प्रथम सत्र के आरम्भ में सम्बोधित करेगा अनिवार्य रूप से।

अनु. 111 - बिल पर हस्ताक्षर करने की कोई निश्चित अवधि नहीं है।

↳ जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति नहीं देता है और न मना करता है, उसे वीटो कहते हैं।

↳ वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है।

वीटो - 5 प्रकार

① Qualified Veto

विशेषित निषेधाधिकार

→ राष्ट्रपति के पास बिल भेजा, राष्ट्रपति ने साइन करने से इन्कार किया, बिल वापस 2/3 सदस्यों से पारित होकर पुनः राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे।

→ क्वालीफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यह वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है।

② Absolute Veto (आत्यंतिक निषेधाधिकार)

संसद ने राष्ट्रपति के पास पारित करके बिल भेजा और राष्ट्रपति ने बिल पर साइन करने से मना कर दिया। तो वह बिल वहीं खत्म हो जाता है। वह दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं आयेगा

→ भारत के राष्ट्रपति को यह वीटो प्राप्त है।

③ निलम्बनकारी निषेधाधिकार

Suspensive Veto

→ किसी बिल को संसद को एक बार पुनः विचार के लिए भेजना निलम्बन निषेधाधिकार कहलाता है।

↳ भारत के राष्ट्रपति को यह वीटो प्राप्त है।

④ Pocket Veto (जेबी निषेधाधिकार)

बिल पर न तो स्वीकृति देता है और न मना करता है।

Ex - 1986 - भारतीय डाकघर विधेयक
ज्ञानी जैल सिंह

↳ डाकिया लिफाफे को खोलकर देख सकता है।

* वीटो के अपवाद

① संविधान संशोधन विधेयक
② धन विधेयक

↳ 24वे संविधान संशोधन विधेयक 1971 के द्वारा यह संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनःविचार के लिए नही भेज सकता। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी ही होगी।

↳ अनु. 123 - अध्यादेश जारी करना
(संसद का सत्र न चलने पर)

↳ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है।

↳ अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है।

↳ अध्यादेश अगले सत्र के प्रारम्भ से लागू होता है।

→ विश्रांतिकाल - संसद का अधिवेशन न होना
राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।

→ यह 6 सप्ताह बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है।

डी सी वधवा
V/S
बिहार राज्य 1988

↳ सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि आप अध्यादेश बार-बार लगातार जारी करके आप सरकार नहीं चला सकते। आप 'अध्यादेश राज' नहीं चला सकते।

↳ 'अध्यादेश राज' शब्द सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया।

राष्ट्रपति की वित्तीय एवं कूटनीतिक शक्तियां

⇒ **न्यायिक शक्तियां** .

① सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा शपथ।

↳ राष्ट्रपति केवल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते है. बाकी के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है।

↳ राष्ट्रपति हाइकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण (ट्रांसफर) करता है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल दिलाता है।

↳ **अनु 72** - क्षमादान की शक्ति

मंत्रिपरिषद सलाह देती है।

↳ राष्ट्रपति क्षमायाचिका पर कितना समय लेगा इसका उल्लेख संविधान में नही है।

↳ यदि राष्ट्रपति क्षमायाचिका को स्वीकार नही करता है तो माली पुन: सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।

नए सिरे से याचिका जारी कर सकता है।

'फ्रेश पिटेशन' पुन: कोर्ट में लगाई जा सकती है।

दया याचिका
- माफ
- स्थगित
- सजा कम कर सकते हैं।
- सजा की प्रकृति बदल सकते हैं।

↳ राज्यपाल सजा को माफ नहीं कर सकता, वह स्थगित, सजा कम, तथा सजा की प्रकृति बदल सकता है।

अनु॰ 143 राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट से सलाह मांगेगा।

↳ सुप्रीमकोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

↳ सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए 5 सदस्यों की 'संवैधानिक पीठ' का गठन करेगी।

↳ राष्ट्रपति स्वविवेक से भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है।

वित्तीय शक्तियाँ

→ धन विधेयक - राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक लोकसभा मे रखा जाता है।

↳ राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकते।

↳ अनु 111 - धन विधेयक का उल्लेख

②

निधि

संचित निधि	लोक निधि	आकस्मिक निधि (अनु. 267)
संसद से अनुमति लेनी होगी।		आकस्मिक निधि पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है।

→ संसद का सत्र न होने पर आकस्मिक निधि से पैसा लिया जाता है।

→ **अनु. 280** - वित्त आयोग का गठन

→ राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा।

→ इसका एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है।

→ राज्यों को धन बटवारे के सम्बन्ध में वित्त आयोग सिफारिश करता है, जिसको राष्ट्रपति संसद में रखता है।

कूटनीतिक शक्तियां

अनु. 53 - राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर होता है।

→ युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है।

→ विदेशों में राजदूत, उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

उच्चायुक्त - जब राष्ट्रमण्डल देशों में (अंग्रेजों के गुलाम देश) राजदूत की नियुक्ति की जायेगी तो वह उच्चायुक्त कहलाता है।

→ किसी अन्य देश का राजदूत अपना परिचयपत्र राष्ट्रपति के पास जमा करता है।

आपातकालीन शक्तियां

अनु० 352 - राष्ट्रीय आपातकाल

(i) बाह्य आक्रमण
(ii) युद्ध में शामिल हो जाने
(iii) सशस्त्र विद्रोह → जनता का कोई भाग शस्त्र लेकर विद्रोह कर दे।

↳ जरूरी नहीं है कि यह तीनों स्थितियां वास्तविक रूप में हो. केवल सम्भावना के आधार पर भी इसे लगा सकते हैं।

⇒ अभी तक कुल देश में आपातकाल लगा। 3 बार

		राष्ट्रपति
① 1962	चीनी आक्रमण	सर्वपल्ली राधाकृष्णन
② 1971	पाक आक्रमण	वी वी गिरि
③ 1975	आंतरिक असंतोष	फखरुद्दीन अली अहमद

↳ 44 वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 'आंतरिक असंतोष' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया।

↳ मंत्रिमण्डल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जायेगा।

↳ यह 44 वे संविधान संशोधन द्वारा अनु 352 में जोड़ा गया।

↳ कैबिनेट शब्द का उल्लेख सिर्फ 352 अनु. में है, जो कि बाद में जोड़ा गया।

↳ कैबिनेट शब्द 352 अनु. में परिभाषित है।

↳ राष्ट्रीय आपातकाल यदि लाग गया तो संसद से 1 महीने के अंदर अनुमति लेनी होगी। यदि अनुमति नहीं मिली तो आपातकाल खत्म हो जायेगा।

↳ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत
दोनों सदनों से।

↳ अनुमति मिल जाने पर यह एक बार में अधिकतम 6 महीने तक जारी रहता है।

↳ हर 6-6 महीने में अनुमति लेकर आपातकाल अनंत समय तक लगाया जा सकता है।

↳ लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा स्वीकृति देगी, यदि लोकसभा पुनः गठित होती है तो 1 महीने के अन्दर लोकसभा से भी अनुमति लेनी होगी। नहीं तो आपातकाल खत्म हो जायेगा।

⇒ आपातकाल स्थिति में.

① मौलिक अधिकार निलम्बित हो जाते हैं।

② अनु 359 के अनुसार अनु 20, 21 को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

↳ अनु. 358 यह कहता है कि यदि आपातकाल लग जाता है तो अनु. 19 स्वतः ही निलम्बित हो जाता है, लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है तो अनु. 19 निलम्बित (नहीं) होता है।

③
→ 1962-68 तक आपातकाल लगा था
→ 1971-77 तक आपातकाल लगा था
→ 1975 में सशस्त्र विद्रोह पर आपातकाल लगाया गया था।

↳ यदि आपातकाल लगता है 352 के तहत तो अनु 250 में लिखा है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार

संसद को प्राप्त हो जाता है।

- राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा आपातकाल को समाप्त कर सकता है।
- 1 महीने में स्वीकृति न मिलने पर खत्म हो सकता है।
- 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा
- लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का $\frac{1}{10}$ भाग प्रस्ताव आपातकाल खत्म करने के लिए लाया जा सकता है।
- लोकसभा का सत्र चल रहा हो तो लोकसभा के अध्यक्ष के सामने और यदि नहीं चल रहा हो राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- इस सन्दर्भ में 15 दिन के अन्दर बैठक बुलाई जाएगी।

उपराष्ट्रपति

→ उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है।

→ **योग्यतायें**

① भारत का नागरिक हो
② 35 वर्ष का हो
③ लाभ के पद पर न हो
④ राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो।

→ **निर्वाचक मंडल**

संसद के सभी सदस्य (राज्यसभा + लोकसभा)

→ **निर्वाचन विधि** - अनु. 66

① एकल संक्रमणीय मत पद्धति
(एकल संक्रमणीय / आनुपातिक / गुप्त)

Single Transferable

→ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त पद्धति से होता है।
लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में 'गुप्त' शब्द नहीं लिखा रहता. इस पद्धति में गुप्त शब्द नहीं लिखा होने पर तीनों का चुनाव इसी पद्धति से माना जायेगा

→ 20 मतदाता प्रस्तावित (Proposed)
→ 20 मतदाता अनुमोदित (Approved)

→ जमानत राशि 15000 रु.

→ 1/6 अनिवार्य मत प्राप्त करना।

→ जमानत राशि रिजर्व बैंक में रखी जाती है

अनु 324 - चुनाव चुनाव आयोग करवायेगा

(71) - विवाद का निपटारा सुप्रीमकोर्ट करेगा

L.S - महासचिव
R.S. महासचिव

↳ एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा महासचिव करवाता है तो अगली बार का राष्ट्रपति का चुनाव मे राज्यसभा महासचिव निर्वाचन अधिकारी होता है। क्रमश: बदलते रहते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में होगा)

↳ उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य दोनो भाग लेते हैं।

↳ उपराष्ट्रपति के चुनाव में 'मत का मूल्य नहीं निकालते हैं।

↳ उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।

↳ उपराष्ट्रपति के चुनाव में यथाशीघ्र का उल्लेख है ना कि 6 महीने का।

↳ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है।

↳ राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या से यदि प्रस्ताव पारित कर दे तो वह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और यदि लोकसभा इससे सहमत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जायेगा

अनु. 64. राज्यसभा का पदेन सभापति

अनु. 65 - कार्यवाहक राष्ट्रपति

↳ 1969 - राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम

उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सम्भालेंगे, ऐसा संविधान में नहीं लिखा।
लेकिन 1969 में कानून बनाया गया।

कार्यवाहक राष्ट्रपति

1969 - वी.वी. गिरी
(मो. हिदायतुल्ला)
1977. बी.डी. जत्ती

प्रधानमंत्री

अ.74

- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे।
- 42वे संविधान संशोधन 1976 द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे।
- 44वे संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक बात जोडी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनःविचार के लिए लौटाया जा सकता है।

वर्तमान में यही लागू है।

- अनु.75 प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
- अगर संसद सदस्य नही है तो 6 माह मे बन जाना चाहिए।

अनु.78 प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है।

1. प्रशासन के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध कराना। राष्ट्रपति को
2. विधि निर्माण की जानकारी
3. किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाना

मंत्रिमण्डल - कैबिनेट स्तर के मंत्री + प्रधानमंत्री

→ प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

⇒ राज्यसभा से प्रधानमंत्री

1. इंदिरा गाँधी
2. H. D. देवगौडा
3. मनमोहन सिंह

↳ प्रधानमंत्री अन्तर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है।

↳ एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष

↳ नीति आयोग का अध्यक्ष

C.A.G
(महालेखा नियंत्रक परीक्षक)

लोकतंत्र

- न्यायपालिका
- चुनाव आयोग
- C.A.G
- U.P.S.C

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

अनु. 148 . नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन

↳ भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

↳ भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर

कार्यकाल

65 वर्ष या 6 साल

↳ राष्ट्रपति नियुक्ति के सन्दर्भ में वारण्ट / अधिपत्र जारी करता है।

वारंट

1. सुप्रीम / H.C जज
2. राज्यपाल
3. CAG

↳ संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं।

↳ भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए एक ही CAG होता है।

↳ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है।

कार्य अनु. 149

Accounting — Auditing

लेखांकन — लेखा परीक्षण

लेखांकन . रुपये का व्यय का ब्यौरा रखना लेखांकन कहलाता है। रुपया जहां जहां व्यय करते हैं उसको लिख लेते हैं।

लेखा परीक्षण : जाँच करना। रुपया कहां कहां व्यय किया। मितव्ययी सिद्धान्त का पालन किया कि नहीं। जिस मद के लिए जितना व्यय करना था उतना किया नहीं. कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं की आदि।

1950 — 1976

Accounting

Auditing

CAG 1950 से 1976 तक लेखांकन और लेखापरीक्षण दोनो कार्य करता था. लेकिन CAG से लेखांकन का कार्य छीन लिया गया. लेकिन राज्य सरकारों ने कहा हम लेखांकन और लेखापरीक्षण के लिए अलग - अलग व्यक्ति नहीं रख सकते हैं. इसलिए CAG राज्य सरकारों के लिए Accounting और Auditing दोनों का कार्य करता है।

अनु·150 · लेखा का प्रारूप

CAG राष्ट्रपति को सुझाव देता है कि प्रारूप क्या होगा।

अनु·151 - CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, जिसे राष्ट्रपति संसद में रखवायेंगे

→ संसद : वित्तीय समिति

CAG की रिपोर्ट का जाँच करने का काम लोकलेखा समिति करती है।

22

लोकसभा 15 + 7 — राज्यसभा

लोकलेखा समिति (PAC)

↳ तकनीकी शब्दों को समझने के लिए लोक लेखा समिति CAG से बात करती है।

लेखांकन का काम CGA करता है

Controller General of the Account

भारत सरकार के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अन्तर्गत CGA कार्य करता है।

CGA पद का उल्लेख संविधान में नहीं है।

भारत के प्रथम CAG -
नरहरिराव

महान्यायवादी

↳ विधिक सलाह के लिए भारत सरकार में महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार में महाधिवक्ता होता है।

↳ महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
— अनु. 76

जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है. उसको महान्यायवादी बनाया जाता है।

↳ संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं।

↳ शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।

↳ राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर रहता है।

अनु. 76 ① भारत सरकार को विधिक सलाह देते हैं।

② राष्ट्रपति जो कार्य देता है. उस मामले में सलाह देता है।

③ किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखते हैं।

अनु. 88. महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, सम्बोधित कर सकता है, समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता।

→ भारत के प्रथम महान्यायवादी

→ एम. सी. सीतलवाड़

महान्यायवादी के रूप में (1950 -1963) यह सर्वाधिक काल तक रहे. यह लगभग 13 वर्ष तक रहे।

↳ वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल है. 2017 में नियुक्ति हुई. यह 15वें महान्यायवादी हैं।

→ नीरज डे का कार्यकाल 11 साल तक रहा

इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। < सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

महान्यायवादी
↓
सॉलिसिटर जनरल
↓
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

↳ वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है।

↳ महान्यायवादी लोकसेवक में नहीं आते RTI इन पर लागू नहीं होता।

↳ महान्यायवादी के पद पर रहते हुए वह प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकते हैं।

↳ भारत सरकार के खिलाफ प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं।

↳ अनु. 165. राज्य में महाधिवक्ता होता है राज्यपाल नियुक्ति करता है।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।

↳ महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद पर रहता है।

↳ अनु. 88 की तरह महाधिवक्ता के लिए अनु. 177 है, जिसमें वह विधानसभा में भाग, सम्बोधन करता है। लेकिन मत नहीं देता है।

लोकसभा

लोगों की सभा — निम्न सदन
(लोकप्रिय सदन)

First Past the Post
(आगता ही विजेता)
से लोकसभा के चुनाव होते हैं।

→ ५ साल पहले ही यह शब्द प्रचलन में आया है।

अनु 81 → 530 (राज्य)
20 (केन्द्रशा) 545 वर्तमान में
~~2~~ (मनोनीत)
550 — 7 सीट पाक अधिकृत कश्मीर में हैं।

104 वे संविधान संशोधन 2019 द्वारा, 2 आंग्ल समुदाय के सदस्यों का निरसन का प्रावधान

अधिकतम सदस्य - 550

→ लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं।

→ भारत में प्रथम आम चुनाव
अक्टूबर 1951 - फरवरी 1952

→ लोकसभा को 'भावनाओं का सदन' कहा जाता है।

→ प्रथम लोकसभा का गठन 17 April 1952 को हुआ।

→ 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई।

→ गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक तथा संसद का जनक

कहा जाता है।

- गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे।
- गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे।
- जी.वी. मावलंकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था।
- जी.वी. मावलंकर की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।
- दूसरे बालयोगी हैं, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी।

- अनु. 75 (3) → मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है

- कुल सदस्य संख्या के 15% को मंत्री बनाया जा सकता है।

- अनु. 118 (4) → संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

- अनु. 108 → संयुक्त अधिवेशन

- अनु. 109 → धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है। कर की दर बढ़ाने, घटाने आदि से सम्बन्धित होता है।

↳ अनु.110 → कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।

↳ अनु. 352 - राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीने के अंदर अनुमति आवश्यक है।

राज्यसभा

अनु. 80 — Council of States

12 सदस्य
- साहित्य
- विज्ञान
- कला
- समाज सेवा

↳ अनु. 80(3). साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से सदस्य मनोनीत किए जायेंगे।

↳ 233 सदस्यों का एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है।

↳ एक तिहाई (1/3) सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद अवकाश ग्रहण करते हैं।

↳ राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है।

↳ अनु.110 → कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।

↳ अनु. 352 - राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीने के अंदर अनुमति आवश्यक है।

राज्यसभा

अनु. 80 — Council of States

12 सदस्य
- साहित्य
- विज्ञान
- कला
- समाज सेवा

↳ अनु. 80(3) साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से सदस्य मनोनीत किए जायेंगे।

↳ 233 सदस्यों का एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है।

↳ एक तिहाई (1/3) सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद अवकाश ग्रहण करते हैं।

↳ राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है।

एकल संक्रमणीय (हस्तांतरणीय)	आनुपातिक
① वरीयता ② स्थानांतरित	निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है।

→ अनुसूची ④ - किस राज्य से कितने सदस्य चुने जायेंगे

→ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

$$\frac{\text{मतदाताओं की संख्या}}{\text{--?-- } + 1} + 1$$

जितने सीटों के लिए चुनाव होता है

राजस्थान 200 सदस्य

$$\frac{200}{3+1} + 1$$ (51)

→ 23 अगस्त 1954 को Council of States का नाम राज्यसभा किया गया।

→ 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा प्रथम बार गठित हुई।

→ 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई।

→ राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं।

(1952) —1/3→ (1958)

- एक तिहाई लोगों के बाहर करने के लिए 1954 और 1956 में लॉटरी निकाली गई। जिनका नाम लॉटरी में आया. उनको अनकारा ग्रहण करा दिया गया।

- राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए।

- राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।

- उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले पहल राज्यसभा में होती है, लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए होती है।

- अनु. 249 . यदि राज्यसभा को लगता है कि राज्यसूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उपस्थित एवं मतदान करने वालो के 2/3 बहुमत से कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है।

- राष्ट्रीय महत्व पर बनाया गया कानून 1 वर्ष तक के लिए लागू होता है।

अनु. 312 . नई अखिल भारतीय सेवा

- उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है।

आपातकाल

① अनु. 352 → 1 माह
② अनु. 356 → 2 माह
③ अनु. 360 → 2 माह

} अनुमति

- लोकसभा के भंग होने पर सारी अनुमति राज्यसभा देती है।

संसदीय प्रक्रिया -①

- **अनु.108** - संयुक्त अधिवेशन
- **अनु.118** - लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- संयुक्त अधिवेशन के नियम राष्ट्रपति निर्धारित करता है।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
- राष्ट्रपति ने नियम लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के परामर्श से बनाये हैं।
- **अनु.120** - संसद में कार्य हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होगा।

  यदि यह दोनों भाषायें नहीं जानते तो अपनी मातृभाषा में विचार दे सकते हैं।
- **अनु.121** - न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया को छोड़कर कोई टिप्पणी न्यायाधीशों के ऊपर नहीं होगी।
- **अनु.122** - न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना।

↳ शपथ (Oath) - संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है।

↳ शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है।

↳ अनु. 99 . सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

↳ अनु. 100 . कोरम / गणपूर्ति

✓ 1/10 — 545 | 55 — 245 | 25

↳ यदि कोरम पूरा न हो तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति सदन को स्थगित या निलम्बित कर सकता है।

संसदीय प्रक्रिया ② 5 जुलाई 2019

- संसद के सचिवालय का उल्लेख अनु 98 में है।
- अनु 98 संसद के दोनों सदनों के संचालन की बात करता है।
- लोकसभा सचिवालय - महासचिव
- राज्यसभा सचिवालय - महासचिव

सभापति नियुक्ति करता है। — लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति

- इन दोनों महासचिव का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर होता है।
- 1990 के पहले इनका दर्जा विभाग के सचिव के बराबर था।
- 1952 से सचिवालय में नियुक्ति होना शुरू हुई।
- कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है।
- लोकसभा में पहली महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है।
- राज्यसभा में महासचिव वी-एस रमादेवी थी
- अनु 98 सचिवालय का उल्लेख करता है।

संसदीय सत्र / सेशन / अधिवेशन

- **अनु. 85** - राष्ट्रपति सत्रों को आहूत करता है।
- दो से अधिक सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।
- मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति सत्र आहूत करता है।
- कभी-2 स्वविवेक से भी बुलाता है।
- सत्रावसान (सत्र की समाप्ति) भी राष्ट्रपति करता है।

संसद के वर्ष में सामान्यतया तीन सत्र होते हैं

① बजट सत्र, अनु. 87

- राष्ट्रपति सत्र के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से आहूत करता है।
- फरवरी से मई तक चलता है।
- सबसे बड़ा सत्र है, अवधि के हिसाब से यह सत्र दो चरणों में होता है।
- जब कुछ दिन के लिए (15-20 दिन) सत्र स्थगित हो जाता है। तो यह दो चरणों में होता है।

② मानसून सत्र (ग्रीष्मकालीन सत्र)

जुलाई से अगस्त

③ शीतकालीन सत्र

दिसम्बर मे ही शुरू होता है दिसम्बर में ही [illegible]

→ अवधि की दृष्टि से शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है।

प्रश्नकाल Question Hour

↳ संसद की बैठक 11 बजे सुबह होती है। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न पूछे जाते हैं, सांसदो द्वारा मंत्रियों से। इस 1 घंटे को प्रश्न काल कहते हैं।

↳ <u>तारांकित प्रश्न</u> * जिनके जवाब मौखिक चाहते हैं, उससे संबंधित दोबारा प्रश्न पूछने को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं।

↳ 15 दिन पहले इस बात की सूचना अध्यक्ष को देनी पड़ती है।

↳ तारांकित प्रश्न में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

↳ <u>अतारांकित प्रश्न</u> - इनके जवाब लिखित मांगे जाते हैं।

→ इन पर अनुपूरक प्रश्न नही पूछा जाता

↳ <u>अल्पसूचना वाले प्रश्न</u> 10 दिन से पहले की सूचना के अन्दर यह प्रश्न पूछे जाते हैं।

↳ अधिकतम 230 प्रश्न ही अल्पसूचना वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

↳ अल्पसूचना वाले प्रश्न 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं।

↳ **शून्यकाल** - प्रश्नकाल के ठीक बाद वाले काल को शून्य काल कहते हैं।

इस काल में बिना पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।

↳ शून्य काल का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया में नहीं है।

↳ मीडिया ने शून्य काल का नाम दिया।

संसदीय समितियां

- 1919 के मांण्टेग्यू चेम्सफोर्ड में पहली बार उल्लेख
- 1921 में पहली बार लोकलेखा समिति का गठन

अनु. 344 . राजभाषा आयोग
↓
राजभाषा समिति
↓
एकमात्र समिति जिसका उल्लेख संविधान में है।

- राजभाषा अधिनियम 1963

1965 में यह लागू हुआ।

- राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं।

(L + R)
20 + 10

वित्तीय समितियां - तीन

① लोकलेखा समिति (Public Accounts Committee)

[1919] - 1921 PAC → 22

22 → 15 (लोकसभा), 7 (राज्यसभा)

CAG → Auditing
↓
Report
↓
राष्ट्रपति → संसद → PAC

↳ CAG रिपोर्ट की ओडिटिंग करता है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखता है, इसी रिपोर्ट की पुनः जांच का काम लोकलेखा समिति करती है।

↳ CAG को लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहते हैं।

↳ 1967 से लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाता है।

② <u>अनुमान समिति / प्राक्कलन समिति</u>
(1950 में गठन) (Estimate Committee)

↳ इसमें 30 सदस्य होते हैं, सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं।

↳ सरकार बजट (अनुमान) पेश करती है, उसके अनुमान वास्तविकता के निकट हैं कि नहीं, इसके आकलन का काम आकलन समिति करती है।

↳ अनुमान समिति को 'मितव्ययता समिति' भी कहा जाता है।

③ <u>लोक उद्यम समिति / सार्वजनिक उद्यम समिति</u>

↳ COPU

→ ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना सरकार ने की है।

→ कृष्णामेनन समिति के सुझाव पर 1964 में लोक उद्यम समिति का गठन किया गया।

इसमें 22 सदस्य होते हैं।

- 15 (L)
- 7 (R)

F. Committees

PAC	E.C.	COPU
22 → 15, 7	30 (L.S.)	22 → 15, 7

↳ तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है

↳ तीनों समितियों में मंत्री सम्मिलित नहीं होता है।

↳ एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इनके सदस्यों का चुनाव होता है।

↳ जिस दल का प्रतिनिधित्व जितना होगा उतना ही अनुपात में प्रतिनिधित्व समितियों में होता है।

↳ संयुक्त संसदीय समिति
↓ Joint Parliamentary Committee

J.P.C

तदर्थ समिति

कभी-कभी इसका गठन किया जाता है, विशेष मामलों की जाँच के लिए।

↓

↳ ऐसा मामला जिस पर भ्रष्टाचार हुआ हो या विपक्ष माँग कर रहा हो।

↳ अभी तक इस समिति का गठन 5 बार हुआ है।

↳ 1987 → बोफोर्स घोटाला → बी. शंकरानंद
↳ 1992-93 → शेयर घोटाला → रामनिवास मिर्धा
↳ 2000 → स्टॉक मार्केट घोटाला → प्रकाशमणि त्रिपाठी
↳ 2002 → Cold Drink कीटनाशक → शरद पवार
↳ 2011 → 2G स्पैक्ट्रम → पी.सी. चाको

↳ इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं नहीं है। लेकिन अनुपात 2:1 होगा
L R

जैसे 30 हैं तो 20 लोकसभा के
10 राज्यसभा के

संसदीय समितियाँ

विभागीय समितियाँ

कुल संख्या इनकी 24 है।

पी. वी. नरसिम्हाराव

1993 - 24

→ प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं

लोकसभा 21 — राज्यसभा 10

→ यह सारे सदस्य मनोनीत होते हैं।

→ 24 में से 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है।

→ 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं।

(1) विभागीय समितियों का पहला कार्य बजट के अनुमानों की जाँच करना है।

(2) अपने विभाग से संबंधित जितने भी बिल रखे जाते हैं। उनके गुण और अवगुण पर बात करना।

(3) विभाग से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विस्तार से बात करना।

⇒ सरकारी आश्वासन समिति

↳ मंत्रियों के आश्वासन पर ध्यान देते हैं।

↳ कुल 15 सदस्य होते हैं।

10 लोकसभा, 5 राज्यसभा

↳ इस समिति का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1953 में किया गया था।

⇒ लाभ के पद पर समिति

लाभ के पद पर है या नहीं।

15 < 10 (L), 5 (R)

⇒ पुस्तकालय समिति

9 सदस्य

6 L·S, 3 R·S

⇒ महिलाओं की सशक्तिकरण पर समिति

सदस्य संख्या 30 → 20 (L·S.), 10 (R·S)

⇒ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति

30 सदस्य → 20 (L·S), 10 (R·S.)

उच्चतम न्यायालय

MOP - (मेमोरेन्डम ऑफ द प्रोसिजर)

- सुप्रीमकोर्ट एवं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो दस्तावेज बनाया गया. उसे MOP कहते हैं।
- फरवरी 2018 में इसे स्वीकार किया गया।
- सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का विषय भारत की संघ सूची में है।

C.J.I → पहल

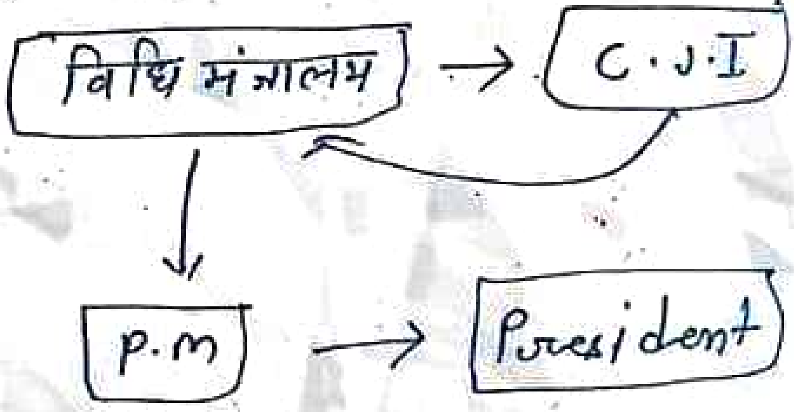

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
- MOP एक प्रक्रिया का नाम है।
- सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सन्दर्भ में C.J.I पहल करता है।

M.O.P.

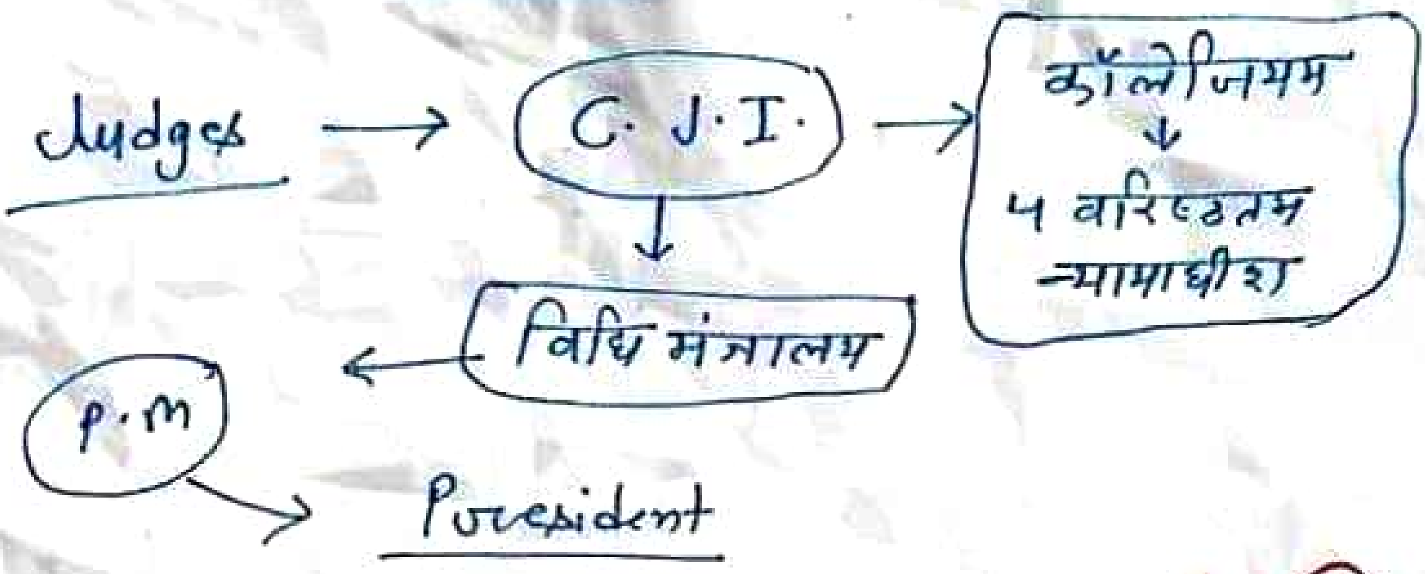

P- ③

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, बाकी अन्य न्यायाधीशों को C.J.I शपथ दिलाता है।
- संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा।
- न्यायाधीशों के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते।

अनु. 360. वित्तीय आपातकाल में वेतन कम की जा सकती है।

→ न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है, जो कि भारित व्यय होता है।

इस व्यय पर संसद बहस कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं।

↳ न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है।

↳ न्यायाधीश लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अनु. 126. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधीशों को हटाना

- भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया। महाभियोग (Impeachment)

- न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968
  इस अधिनियम में महाभियोग शब्द का उल्लेख है।

अनु. 124(4) . आधार, हटाने की प्रक्रिया

- साबित कदाचार
- अक्षमता

→ संसद न्यायाधीशों को हटा सकती है।
→ किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है
→ लोकसभा में लाने पर 100 सदस्यों का समर्थन
→ राज्यसभा में लाने पर 50 सदस्यों का समर्थन

संविधान में इस सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। यह संख्या 'न्यायाधीश जाँच अधिनियम' है।

124(5) .
- हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण संसद करेगी।
- इसी के तहत न्यायाधीश जाँच अधिनियम बनाया गया।

→ लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव की जाँच करेगी।
→ सदस्यों के हस्ताक्षरों की L.S. जाँच करेगा।